न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2505—दो/2000 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 06—10—2000 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 246/अपील/1983—84

....

1— रामाश्रय
2— रामनिरंजन
3— भगवानदीन, पुत्रगण श्री टिर्रा
निवासीगण— कछिगवां, तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला—रीवा(म0प्र0)
4— श्रीमती दिलसुआ पत्नी प्रयाग, पुत्री श्री टिर्रा
निवासी— कछिगवां, तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला—रीवा(म0प्र0)

........................आवेदकगण

विरूद्ध

बृजभान तनय लक्षिमन प्रसाद
निवासी — कछिगवां, तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला—रीवा(म0प्र0)

....
अनावेदक

....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ए0के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक

....

आदेश
(आज दिनांक 14-11-2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06—10—2000 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार मण्डल डेल्ती के समक्ष ग्राम कछिगवां स्थित प्रश्नाधीन भूमि पुराना खसरा नं0 316 रकबा 0.34 एकड़ एवं नया खसरा नं0 301 रकबा 0.51 एकड़ पर से पुस्तैनी रास्ता को खुलवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.04.82 से खसरा नं0 301 रकबा 0.51 एकड़ पर पुस्तैनी रास्ता मानकर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील प्रस्तुत की । जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 27.02.1984 से विचारण न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुये आवेदक की अपील को निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की । अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 246/अपील/1983–84 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 06–10–2000 से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखा तथा अपील निरस्त की है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जाता है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में खसरा क्रमांक 316 जिसका नया नम्बर 301 हैक्टेयर रकबा 0.02 एकड़ में रूढ़िगत रास्ता है जो खसरे में वर्ष 1970–71 से लगातार दर्ज है । नायब तहसीलदार ने विवादित भूमि के संबंध में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 132, 133 तथा 134 के तहत कार्यवाही करते दिनांक 28.04.82 को उक्त विवादित भूमि पर रूढ़िगत रास्ता को खुलवाये जाने का आदेश दिया । प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 301 से पूर्व से ही रास्ता चालू था, जिससे अनावेदक तथा मावेशी का आना जाना होता था। तहसील न्यायालय ने रास्ता खुलवाये जाने हेतु आदेश पारित किया था, जो विधि के अनुसार सही है। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने अपने निर्णय में यह निष्कर्ष निकाला है

कि आवेदकगण ने 3 वर्षों तक संहिता की धारा 131 के तहत बने प्रावधानों का पालन नहीं किया है। ऐसे में तहसीलदार द्वारा जो आदेश संहिता की धारा 132, 133, 134 के अन्तर्गत कार्यवाही आदेशित की गई है वह विधि के अनुसार उचित है और अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा है जिसमें कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर